(SSC GD 2024) (अवसर बैच)

Polity-

(Class - 12)

→ उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

अनु॰ 66 (1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों

Art 66 (1) → उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ⇒ voter
(i) अप्रत्यक्ष मतदाता ⇒ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य ⇒ (MP)
↓
निर्वाचित + मनोनित

(MLA) ✗
(MP) ✓

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी 'अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली' द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है।

पद्धति — same method of president
राष्ट्रपति की तरह
मतदान
↓
गुप्त (secret)

→ उपराष्ट्रपति की पदावधि

- संविधान के अनु॰ 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है,
- राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है।

कार्यकाल (Tenure) → Art. 67 → 5 वर्ष ⇒ पद ग्रहण के दिन से

5 वर्ष पूर्व त्यागपत्र ⇒ राष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना कम से कम चौदह दिन (14) पूर्व ही दे दी गई हो।

उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया

आधार => संविधान द्वारा निश्चित नहीं

कौन हटाता है? = उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार Rs को दिया गया है, वह जो आधार सही, समझे उस आधार पर हटा सकती है।

① 14 दिन पूर्व सूचना => उपराष्ट्रपति
② प्रस्ताव पर Rs में चर्चा
③ प्रस्ताव राज्यसभा में पारित => साधारण बहुमत

Note:- Rs में पारित होने के पश्चात् इस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी होगी। => उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा।

• उसकी मृत्यु, पदत्याग या पदच्युति के कारण हुई पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र कराया जायेगा।

उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति → कारण –
=> पद रिक्त होने पर, इस पद को भरने के लिए चुनाव यथाशीघ्र करवाये जायेंगे
① मृत्यु ② त्यागपत्र ③ हटाया जाना (अन्य कारण)

RS
सभापति
उपसभापति

- नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से पांच वर्ष तक अपना पद धारण करेगा।
- संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(उपसभापति) → RS के सदस्य होते हैं।

- उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है। वह इस पद पर अनेक बार निर्वाचित किया जा सकता है।

Ques- क्या उपराष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होता है ?
=> वर्तमान → जगदीप धनखड़

- उपराष्ट्रपति अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले।

Ques- क्या उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के पश्चात अपने पद पर रह सकते हैं ? => Yes

→ शपथ या प्रतिज्ञान

अनु० 69

शपथ कौन दिलाता है ? ⇒ राष्ट्रपति द्वारा ~~दि~~ दिलाती जाती है।

→ वेतन एवं भत्ते

अनु० 97 के तहत दिए राज्य सभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। उसे अपने पद का वेतन नहीं दिया जाता है।

Art. 97 · वेतन => राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है।

=> 3.5 लाख | Per month

=> भारत की संचित निधि से दिया जाता है।

जब उपराष्ट्रपति अनु. 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्य सभा सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है।

Art. 65 ⇒ के अनुसार जब राष्ट्रपति का पद किसी कारण रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।

→ संघीय- मंत्री परिषद

अनु. 74 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रीपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।

Art. 74

प्रधानमंत्री की नियुक्ति - (अनु. 75 (1) प्रधानमंत्री की नियुक्त राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।

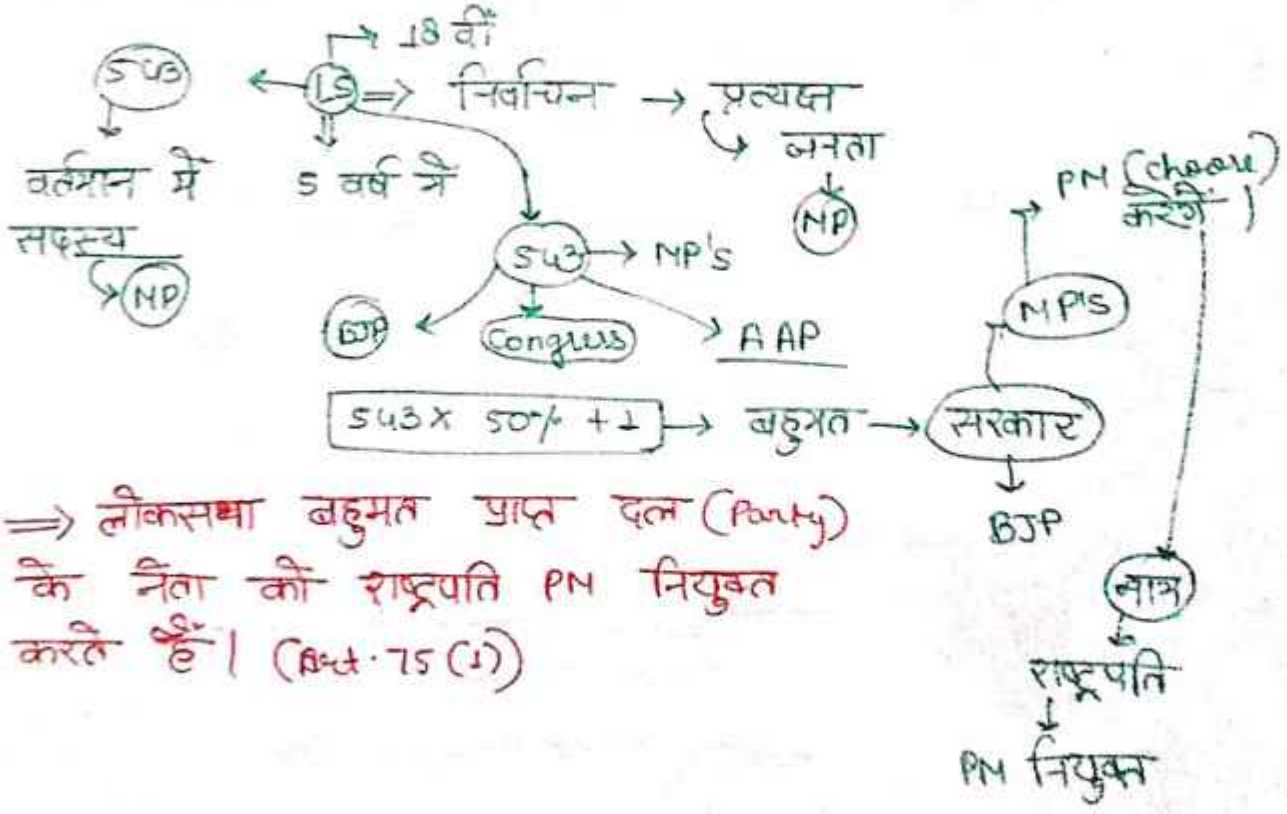

⇒ लोकसभा बहुमत प्राप्त दल (Party) के नेता को राष्ट्रपति PM नियुक्त करते हैं। (Art. 75 (1))

Art. 75 (1) अन्य मंत्रियों का नियुक्त => राष्ट्रपति, लेकिन PM की सलाह पर

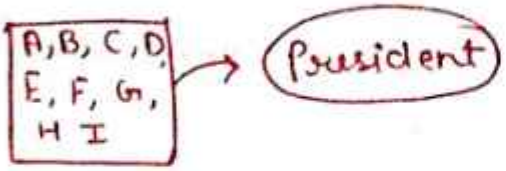

मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करते हैं। (अनु. 75 (2)) + PM

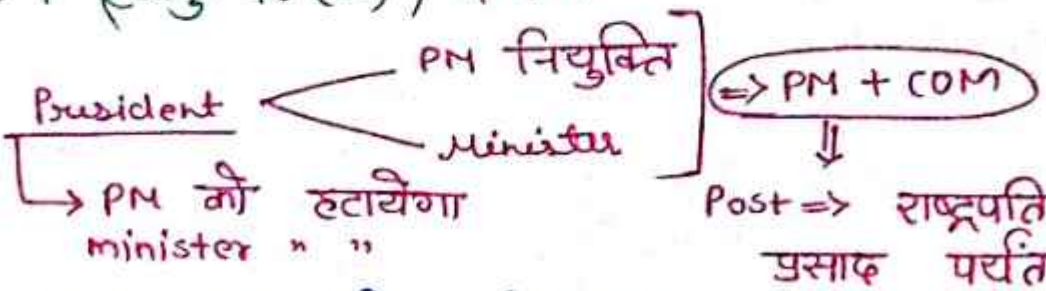

⟹ जब तक PM को लोकसभा में बहुमत होता है, तब उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। (PM = 5 वर्ष तक पद पर रह सकते हैं।)

=> मंत्री, प्रधानमंत्री के विश्वास पर आपने पद पर रहता है, विश्वास किसी भी मंत्री को राष्ट्रपति से कहकर हटवा सकते हैं।

⟶ मंत्रियों की अर्हताएँ (PM + Ministers)

किसी व्यक्ति को मंत्रीपरिषद् का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि (वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो।

PM | Minister बनना चाहते हैं?

Members सदस्य => LS | RS

Qus - अगर कोई व्यक्ति LS | RS का सदस्य नहीं है तो क्या वह PM | Minister बन सकता है?

=> Yes। हाँ

अनु. 75 (5) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे (6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है)

→ मंत्रीयों के प्रकार

मंत्रीपरिषद् में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं यथा-

① कैबिनेट मंत्री
② राज्य मंत्री तथा
③ उपमंत्री

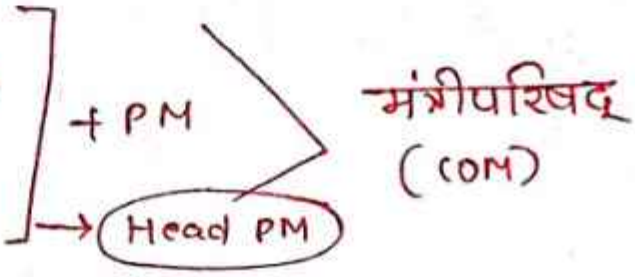

→ मंत्रिपरिषद्

प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री और उपमंत्री इन सबका सामूहिक नाम है, जबकि मंत्रिमण्डल केवल कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह है।

→ मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण

प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को अनुसूची तीन में दिये गये प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है।